तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 2/2014 भोली बनाम फूला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.09.2022	पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। वकील उभयपक्ष की बहस प्रा.पत्र आदेश 22 नियम 3 एवं प्रा.पत्र आदेश 22 नियम 4 पर सुनी गयी। वकील अपीलांट ने प्रा.पत्र आदेश 22 नियम 4 दिनांक 16.05.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 फूला पुत्र श्री भूरा का स्वर्गवास दौरान विचारण अपील दिनांक 26.10.2018 को हो गया है। जो बिना औरत एवं बिना संतान मृत्यु को प्राप्त हुआ है, जिसके कोई जायज वारिस काबिज जायदाद नहीं है। उक्त मृतक रेस्पोडेन्ट सं. 1 फूला हम अपीलान्टस का सगा भाई था, और हम अपीलान्टस उसकी सगी बहने है, तथा जायज वारिस काबिज जायदाद नहीं है। और हम अपीलान्टस उक्त मृतक के मरने के बाद उसकी चल–अचल सम्पति पर बहैसियत वारिस जायदाद काबिज चली आ रही है। चूंकि उक्त रेस्पोडेन्ट सं. 1 फूला का स्वर्गवास हो गया है, इसलिए उसको अपील में मृतक दर्ज करने लिए यह प्रार्थना पत्र मरम्मत सवाल बिना किसी देरी अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है। वकील अपील ने प्रा.पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी दिनांक 30.03.2021 पेश कर निवेदन किया गया कि अपीलांट संख्या 1 भोली पुत्री श्री भूरा पत्नि श्री श्रीराम का स्वर्गवास दिनांक 15.02.2019 को हो चुका है तथा अपीलान्ट सं. 2 चिडिया पुत्री श्री भूरा पत्नि श्री रामजीलाल का स्वर्गवास दौरान विचारण अपील दिनांक 25.08.2019 को हो चुका है, जिसके वारिसान उसके पति, पुत्र, पुत्रिया हैं, जिसके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है। इसलिये उक्त अपीलान्टस को अपील में मृतक दर्ज किया जाना तथा अपील का उपशमन निरस्त कर उनके वारिसान को रिकार्ड पर बखाने अपीलान्टस प्रतिस्थापित किये जाने व संशोधित शीर्षक अपील प्रस्तुत करने की इजाजत के लिए यह प्रार्थना पत्र मरम्मत सवाल जानकारी मिलने की दिनांक 26.03.2021 से बिना किसी देरी अन्दर मियाद स्वीकार कर उनके वारिसान को रिकार्ड पर दर्ज किया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रा पत्र अन्तर्गत 22 नियम 04 व धारा 151 का जवाब दिनांक 05.09.2019 प्रस्तुत कर कथन किया कि फूला रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु हो चुकी है। जिसका वारिस काबिज जायदाद मांडाराम है। जिसको रेस्पोडेन्ट फूलाराम मृतक अपने जीवन काल दिनांक 18.11.2017 को चल अचल सम्पति का वारिस बना कर गया और मृतक रेस्पोडेन्ट फूलाराम के दो बैंक खाते हैं जिनमें भी नोमनी अपने जीवन काल में ही अपना नॉमिनी कर गया। मृतक फूलाराम की समस्त जायदाद चल सम्पति पर मांडाराम का कब्जा है मृतक फूला राम का दाह संस्कार और तमाम किर्याक्रम मांडाराम ने ही किए है। ऐसी अवस्था में अपीलांट का मृतक फूलाराम की किसी चल अचल सम्पत्ति पर काबिज नहीं चली आ रही है। प्रार्थना पत्र देरी से पेश किया गया है जो किसी कदर चलने योग्य नहीं है। मृतक फूला राम की मृत्यु जानकारी अपीलांट को पूर्व से ही थी। लेकिन अपीलान्ट	

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म		

ने प्रार्थना पत्र मरम्मत सवाल जानबूझकर अंदर अवधि पेश नहीं किया है।वकील रेस्पोडेन्ट ने यह भी कथन किया कि जब अपीलांट भोली पुत्री श्री भूरा पत्नि श्री श्रीराम का स्वर्गवास दिनांक 15.02.2019 को हो चुका है तो उसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 व धारा 151 सी.पी.सी. किस प्रकार पेश किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र मरम्मत सवाल अंदर अवधि पेश नही किया है। वकील प्रार्थना पत्र मरम्मत सवाल अंदर अवधि पेश नहीं करने के कारण अपील अपीलांट कानूनन अबेट हो चुकी है। इसलिये प्रार्थना पत्र अपीलांट चलने योग्य नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रतित होता है कि अपीलांट श्रीमती भोली की मृत्यु दिनांक 15.02.2019 को हो चुकी है। वकील अपीलांट द्वारा अपीलांट श्रीमती भोली की मृत्यु होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट की मृत्यु होने के पश्चात न्यायालय में दिनांक 16.05.2019 को प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 फूला पुत्र श्री भूरा का स्वर्गवास दौरान विचारण अपील दिनांक 26.10.2018 को हो गया है तो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 व धारा 151 सी.पी.सी. किस प्रकार पेश किया जा सकता है। इस प्रकार न्यायालय के सामने गलत प्रा. पत्र पेश कर गुमराह किया गया है तथा अपील अपीलांट कानूनन अबेट हो चुकी है।

अतः अपीलांट के फौत होने व कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र न्यायालय को गुमराह कर प्रस्तुत करने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही Abate की जाती है व अपील खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय विधिवत सूचित हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner